



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर, म.प्र.

क्रमांक/599/री.ए.डी.एम. /2020

इन्दौर, दिनांक 04/04/2020

“ आदेश ”

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

(सम्पूर्ण जिले में ऑन लाईन शापिंग एजेन्सी को घर-घर सामग्री, भुगतान के आधार पर प्रदाय करने के संबंध में छूट संबंधी आदेश)

इन्दौर शहर में नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोरोना वायरस की परिस्थितियों को देखते हुए मान. प्रधानमंत्रीजी महोदय के द्वारा किए गए आह्वान के तारतम्य में पूर्ण रूप से लॉकडाउन वर्तमान में प्रचलित है इन लॉक डाउन की परिस्थितियों में आमजनों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु घरों के अंदर रहना अनिवार्य है तथा इस हेतु ही प्रतिबंधात्मक आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी किया गया है ।

आम रहवासियों की मूलभूत सुविधाओं को जारी रखने हेतु घर-घर दूध पहुँचाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी एवं वर्तमान में प्रचलित है । इसके उपरान्त नगर निगम के माध्यम से किराना सामग्री एवं आलू-प्याज, का भुगतान के आधार पर घर-घर प्रदाय की व्यवस्था आदेशित की गई है, अतः यह व्यवस्था भी 3 से 5 दिन में शहर में सूचारु रूप से प्रारंभ हो जावेगी । किराना सामान एवं अन्य घरेलू सामान को घर-घर प्रदाय के लिये इन्दौर शहर में विभिन्न “ऑन लाईन शापिंग चेन” भी मौजूद है जो विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री व अन्य सामग्रियों की घर-घर सप्लाय बुकिंग के आधार पर कर सकती है तथा इन एजेन्सीज का सम्पूर्ण नेटवर्क भी पूर्व से स्थापित है । इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा इन ऑन लाईन शापिंग वाली विभिन्न एजेन्सीज जैसे ऑन डोर, मेट्रो, बेस्ट प्राईज, रिलायन्स, बिग बास्केट, ग्रोफर्स संस्थान, फ्लिपकार्ट आदि से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई तथा चर्चा उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वर्तमान इन्दौर की कफ़रू वाली स्थितियों में यह संस्थाएँ ऑन लाईन एवं ऑन फोन कॉल बुकिंग लेकर घर-घर सामग्री का वितरण इस प्रकार से कर सकती है कि इन्दौर शहर के रहवासियों को उनके घर पर ही भुगतान के आधार पर सामग्री प्रदाय हो सकें । मैं इस तथ्य से भी सन्तुष्ट हूँ कि इन एजेन्सीज को जिन्हे इस आदेश के माध्यम से अनुमति दी जा रही है उन सभी को मॉल/सामग्री उनके होलसेल डीलर से प्राप्त होती रहेंगी जिससे इनकी सप्लाय निरन्तर बनी रहेंगी । अतः पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक/567-568/री0ए0डी0एम0/2020, दिनांक 29.03.2020 के तारतम्य में





मैं निम्नानुसार वर्णित ऑन लाईन शापिंग एजेन्सीज को इन्दौर जिले के रहवासियों को निम्न शर्तों के आधार पर अनुमति प्रदान करते हुवे उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1. यह कि इस आदेश के त्तरतम्य में यह एजेन्सीज ऑन लाईन बुकिंग एवं फोन पर बुकिंग के आधार पर घर-घर सामग्री प्रदाय करेंगी तथा किसी भी एजेन्सीज को अपने कार्यालय एवं ऑफिस को पूर्ण खोलने की अनुमति नहीं होगी और न ही किसी भी रहवासी को उनके कार्यालय/ऑफिस पर मौजूद होना पाया जावेगा । यह एजेन्सीज ऑफिस आधे/तीन चौथाई बंद रहेंगे तथा उनके निर्धारित कर्मचारी कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित संख्या एवं जारी कफर्यू पास का उपयोग करते हुवे कार्य कर सकेंगे ।
2. इस आदेश के तहत जिन ऑन लाईन शापिंग एजेन्सीज को इन्दौर जिले में घर-घर सामग्री प्रदाय हेतु अनुमति प्रदान की जा रही है वे निम्नानुसार है :-
 1-ऑन डोर 2-मेट्रो 3-विशाल मेघामार्ट 4-बेस्ट प्राइज 5-मोर मेघा स्टोर 6-बिग बाजार 7-रिलायन्स मार्केट(शॉपकीपर+कस्टमर) 8-तलाटी ब्रदर्स 9-बिग बास्केट 10-फिलपकार्ट 11-डेली डोर्स 12-ग्रोफर्स संस्थान 13-शाप किराना 14-रतन ट्रेडर्स 15-रिलायन्स मार्केटिंग 16-सेन्ट्रल पाईट क्षिप्रा 17-रिलायन्स(रिटेल)

उक्त ऑनलाईन शापिंग एजेन्सीज के अतिरिक्त अगर कोई अन्य एजेन्सीज घर-घर सप्लाय हेतु इच्छुक है तो वह श्री बी0बी0एस0 तोमर, अपर जिला दण्डाधिकारी मो0 9425065613 से दूरभाष पर सम्पर्क कर अपना विवरण नोट करवा सकती है ताकि उसका परीक्षण किया जा सकें कि वह इस कार्य हेतु सक्षम है कि नहीं ।



3. उक्त ऑनलाईन एजेन्सीज शहर में सामग्री वितरण हेतु जो वाहन का इस्तेमाल करेंगी उसकी सूची बनाकर श्री बी0बी0एस0 तोमर, अपर जिला दण्डाधिकारी को सौपेंगी तथा वाहन हेतु कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित वाहन पास जारी होंगे । इन वाहनों पर ड्रायवर के अतिरिक्त अधिकतम दो कर्मचारी रह सकते है, किन्तु ये दोनों कर्मचारियों के पास भी कलेक्टर द्वारा जारी कफर्यू पास अनिवार्य होंगे । इसी प्रकार इन एजेन्सीज के कार्यालय में लगने वाले बुकिंग एवं अन्य स्टॉफ हेतु न्यूनतम संख्या के साथ जानकारी(नाम, पता, पिता का नाम, मोबाईल नंबर आदि विवरण) अपर जिला दण्डाधिकारी श्री बी0बी0एस0 तोमर को दी जाकर, उनके भी कफर्यू पास जारी किये जावेंगे ।
4. इन ऑन लाईन शापिंग एजेन्सीज को जिन बड़े डीलर्स द्वारा सामान सप्लाय किया जावेगा उस हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहनों के नंबर तथा उनके होलसेल डीलर के न्यूनतम स्टॉफ का विवरण भी आवश्यकता पड़ने पर अपर जिला दण्डाधिकारी श्री बी0बी0एस0 तोमर को दिया जाकर उनको भी कफर्यू पास इन ऑन लाईन एजेन्सीज द्वारा दिये जा सकते है ।



इस व्यवस्था में लगे समस्त व्यक्तियों के सहयोग हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी श्री लोणया मुजालदा, मोबाईल नंबर 9630515051 नोडल अधिकारी रहेंगे तथा यह समस्त टीम श्री बी0बी0एस0 तोमर, अति0 जिला दण्डाधिकारी, इंदौर के आवश्यक मार्गदर्शन में कार्य करेंगी ।

6. इस कार्य में संलग्न समस्त वाहनों की डीजल/पेट्रोल/ईंधन की सुचारु व्यवस्था मुहैया कराने की जिम्मेदारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्री लोणया मुजालदा, मोबाईल नंबर 9630515051 की रहेंगी ।
7. उक्त डीलर/वाहन/कर्मचारी/लेबर को प्रदत्त पास जब तक शहर में लॉक डाउन प्रभावशील है तब तक यह पास प्रभावशील रहेंगा ।
8. इन डीलरों द्वारा विभिन्न निर्माण फेक्ट्रीयों/गोडाउन/अन्य राज्यों के प्रदायकर्ता संस्थानों से माल प्राप्त किया जावेगा । इन डीलरों को उक्त संस्थाओं से माल निरंतर मिलता रहें उसका आंकलन जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला इन्दौर व उनकी टीम द्वारा किया जावेगा तथा इसमें कोई अनुमति की आवश्यकता होगी तो कलेक्टर, जिला-इंदौर द्वारा तत्काल जारी की जावेगी ।
9. उक्त समस्त डीलरों के द्वारा उनके कार्य में सहयोग हेतु सुपरवाइजर व अकाउंटेंट अथवा अन्य सहायक कर्मचारियों को कर्फ्यू पास कलेक्टर, जिला-इंदौर द्वारा मुहिया कराये जावेगे ।
10. इन सम्पूर्ण ऑन लाईन शापिंग एजेन्सीज को अनुमति इस शर्त पर दी जा रही है कि इस सम्पूर्ण व्यवस्था में कही भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न हो तथा उनके कार्यालय में भी कर्मचारी बैठने की व्यवस्था कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर होगी ।
11. उपरोक्त सभी बिन्दुओं एवं आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराते हुए वर्णित निर्देशों के आलोक में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अवगत कराया जावे ।

उक्त कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा ।

सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना होगा, सेनेटाईजर, ग्लब्स का उपयोग करना होगा । मास्क, सैब्स, सेनेटाईजर उपलब्ध कराने की जवाबदारी संबंधित नियोक्ता की होगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा । उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा । शेष आदेश पूर्ववत् लागू रहेंगा ।



(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर
जिला इन्दौर (म. प्र.)

पृ०क्र०.....600 / सी०ए०डी०एम० / 2020

इन्दौर, दिनांक 04/04/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
7. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
8. जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला इन्दौर।
9. एस०डी०ओ०(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त),, इन्दौर
10. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
11. थाना प्रभारी, थाना.....जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ।
12. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
13. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।
15. सर्व संबंधित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर
जिला इन्दौर (म. प्र.)